



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान

कार्यकारी कुलसचिव

Kadar Nawaz Khan

Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-86/2020

दिनांक : 17.04.2020

परिपत्र

देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत परामर्श (Advisory) के अनुपालन में लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में आनेवाले सभी कर्मियों, अधिकारियों को घर में बनाया हुआ मास्क/रुमाल/गमछे का चेहरे पर लगाना/उपयोग करना अनिवार्य है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)

17/04/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक अधिकारी, कर्मचारी

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. विश्वविद्यालय वेबसाइट
3. संबंधित पत्रावली